न्यायालय– अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, श्रीडूंगरगढ़, जिला. बीकानेर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :: जयपाल जाणी, जिला न्यायाधीश संवर्ग

विविध फौजदारी संख्या :: 23/2025

सी.आई.एस. नम्बर :: 23/2025

सी.एन.आर.नम्बर :: RJBK 13000066-2025

कन्हैयालाल पुत्र राजेन्द्र प्रसाद, निवासी हेमासर, तहसील श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर।

––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर।

–अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 47/2025, पी.एस. श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 140(2), 310(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023

उपस्थित :–
1.श्री बाबूलाल दर्जी, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से ।
2.श्री गोपीराम जानू, अपर लोक अभियोजक, राज्य सरकार की ओर से ।

:: **आदेश** :: दिनांकः– 04.03.2025

1. प्रार्थी/अभियुक्त कन्हैयालाल की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसकी नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलवाई गई एवं केस–डायरी तलब की गई।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 03.02.2025 को सुरपुरा तहसील नोखा निवासी परिवादी सुन्दरलाल ने पुलिस थाना श्रीडूंगरगढ़ के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि दिनांक 02.02.2025 को वह अपनी स्कार्पिया गाड़ी जी जे 01 डब्लू 6606 से पुत्र पियूष व भागीरथ के साथ रिश्तेदारी में गांव बिग्गा जा रहा था। जब 3.50 पी.एम. पर श्रीडूंगरगढ़ से पांच किलोमीटर बिग्गा की तरफ पहुॅचा तो पीछे एक केम्पर गाड़ी आई, जिसमें सात आदमी स्वार थे, जो उसे बार बार रूकवाने का प्रयास करने लगे, फिर टक्कर मारकर उसकी गाड़ी रूकवायी। केम्पर में से तीन–चार व्यक्ति उतर कर आये और बाकी उसमें बैठे रहे। कन्हैयालाल व रामस्वरूप को वह जानता है जो स्कार्पियो में सवार हो गये। कन्हैयालाल के हाथ में पिस्टल थी, जिसने उसे पीछे की सीट पर पटक दिया व रामस्वरूप उसकी गाड़ी को बीकानेर की तरफ ले जाने लाने लगा। लखासर ले जाकर उनके साथ मारपीट करने लगे। पीछे से उनके बाकी साथी

केम्पर लेकर आ गये। लखासर में गाड़ी सुनसान खेत में ले गये और पिस्टल के दम पर मारपीट कर उसे धमकाया कि पन्द्रह लाख रूपये दो नहीं तो उसे, बच्चे व भागीरथ को जान से मारे बिना नहीं छोड़ेगे। कन्हैयालाल ने उसके मोबाईल नम्बर 9358369966 से भाई रामदेव के मोबाईल नम्बर 9000686261 पर बात की और धमकी दी कि पन्द्रह लाख रूपये लेकर आ नहीं तो इनको जान से मार देगें। इसके बाद उन तीनों को गाड़ी में डालकर तेजरासर में सुनार की दुकान ले गये और उसकी दो सोने की चेन जबरदस्ती खुलवाकर तोल कर हिसाब करवाया और कहा कि चेन तो छः लाख रूपये की है बाकी रूपये जल्दी मंगवाओ नहीं तो जान से मार देगें। दोनों चैन कन्हैयालाल ने रख ली। फिर उन्हें स्कार्पियो गाड़ी में डालकर श्रीडूंगरगढ़ की ओर रवाना हुये । सेरूणा में पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी, पुलिस ने रूकने का इशारा किया तो पुलिस की गाड़ी के टक्कर मारकर भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर गाड़ी रूकवाई और उन्हें छुड़वाया। कन्हैयालाल, रामस्वरूव व एक अन्य व्यक्ति को मौके से पकड़ लिया, बाकी भाग गये.. आदि आदि। उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 47/2025 अन्तर्गत धारा 115(2), 140(2), 310(2) बी.एन.एस. में दर्ज की जाकर दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त धाराओं में गिरफ्तार किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा धारा 480 भारतीया नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अन्तर्गत प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीडूंगरगढ़ द्वारा दिनांक 11.02.2025 को खारिज किया जा चुका है।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति की व कथन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त परिवादी से रूपये मांगता है और जब उसने बकाया रूपयों की मांग की तो उसे झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। प्रार्थी/अभियुक्त से किसी प्रकार की बरामदगी नहीं हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 11.02.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है जो स्थानीय व्यक्ति है, जिसके फरार होने व गवाहान को टेम्परविद करने की कोई संभावना नहीं है। अनुसंधान में समय लगने की संभावना है । अतः जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाए।

4. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने बहस करते हुए कथन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति के है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाए।

5. उभय पक्ष को सुना व केस–डायरी का अवलोकन किया गया।

6. केस–डायरी के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर दिनांक 02.02.2025 को फिरौती के लिए परिवादी व उसके पुत्र व भागीरथ का अपहरण कर मारपीट करने व चैन लूट कर डकैती कारित करने के संबंध में बी.एन.एस. की धारा 115(2), 140(2), 310(2) के आक्षेप है। केस डायरी के अवलोकन से

प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध इस प्रकरण के अतिरिक्त निम्न दो अन्य आपराधिक प्रकरण भी दर्ज होना प्रकट होता हैः–

क.सं.	मुकदमा नम्बर व थाना	धारा	नतीजा पुलिस	नतीजा
1	434/15.11.2024 पी.एस. श्रीडूंगरगढ़	302/34 भा.द.सं.	चालान	जैर तजबीज
2	320/11.11.2015पी.एस. श्रीडूंगरगढ़	323,341,427/34 भा.द.सं.	चालान	जैर तजबीज

7. अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों व अपराध की गंभीरता व पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना इस प्रक्रम पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है ।

8. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त कन्हैयालाल पुत्र राजेन्द्र प्रसाद, निवासी हेमासर, तहसील श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(जयपाल जाणी)
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश,
श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर।

9. आदेश आज दिनांक 04.03.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जयपाल जाणी)
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश,
श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर।